प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक-09.07.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 588/24 धारा 140(3) /103(2)/239 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त गम्छा बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

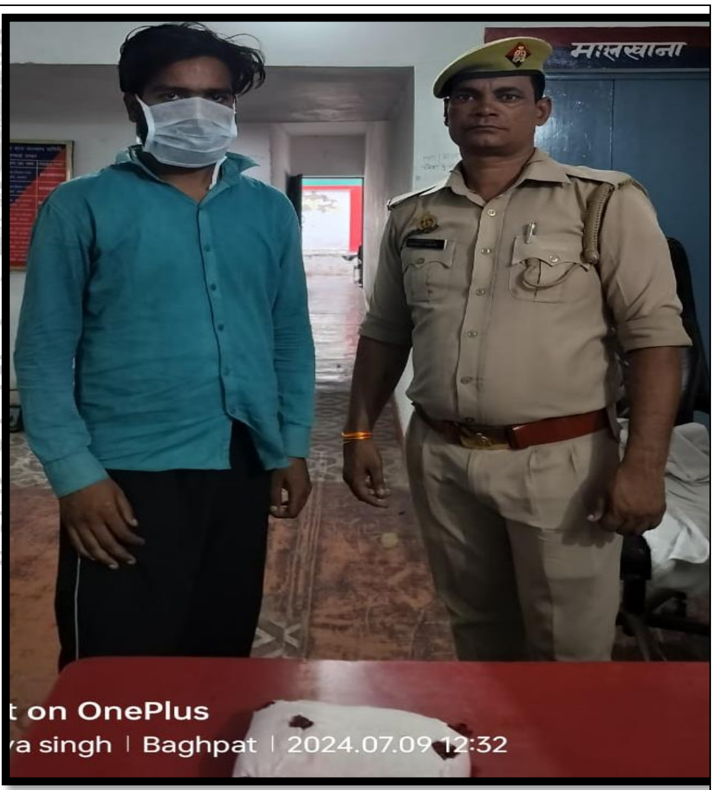

दिनांक 05.07.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर कमल पुत्र लखीराम निवासी ग्राम मंवीकला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि उसका पुत्र सागर उम्र करीब 19 वर्ष बागपत किसी कार्य के लिए गया था जो वापस नही आया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 588/24 धारा 140(30) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान अभियुक्त गौरव पुत्र हरिराम निवासी ग्राम मंवीकला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आया, दिनांक 08-07-2024 को गौरव की निशादेही पर सागर के शव को मवीकलां के जंगल में ईख के खेत से बरामद किया गया। जिसके पश्चात शव को बाद आवश्यक कार्यवाही व पीएम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया था। शव की बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 103(1)/238 बीएनस की वृद्धि की गई।

कार्यवाही

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 588/24 धारा 140(3) /103(2)/239 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसकी निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त गम्छा बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि कुछ दिन पूर्व मृतक सागर ने मेरे विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मारपीट व कहासुनी सम्बन्धी प्रार्थना पत्र दिया था। इसी बात को लेकर मै सागर से नाराज था। दिनांक 04.07.2024 को मैं सागर को बहला फुसलाकर शराब पीने के बहाने जंगल ग्राम मंवीकला में ले गया था जहाँ पर मैने सागर के गले में पडे गम्छे से उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी थी तथा उसके शव को ईख के खेत में छुपा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गौरव पुत्र हरिराम निवासी ग्राम मंवीकला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- हत्या में प्रयुक्त गम्छा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-SHO श्री दीक्षित कुमार त्यागी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना व जनपद बागपत।

3-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना थाना बागपत।

4-उ0नि0 श्री सूरजपाल थाना बागपत।

5-उ0नि0 श्री रोशनलाल थाना बागपत।

6-है0का0 435 आलोक थाना बागपत जनपद बागपत।

7-का0 60 संदीप थाना बागपत जनपद बागपत।

8-का0 44 संजीव थाना बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना चांदीनगर दिनाँक 09.07.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गजेन्द्र को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

गजेन्द्र पुत्र कलीराम निवासी ग्राम खासपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमर सिंह कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2-का0 193 अंकुर भाटी थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

3-का0 1065 आलोक कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना बिनौली   दिनाँक 09.07.2024

थाना बिनौली पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

सतवीर उर्फ सत्तू पुत्र मंगलू निवासी रन्छाड थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 उत्कर्ष गुप्ता थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-का0 23 अजयपाल थाना बिनौली जनपद बागपत।